

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर


क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2022/19941

दिनांक: 11-11-2022

आदेश

पूर्व में नगर परिषद झालावाड़ में विभागीय आदेश क्रमांक 23174-23187 दिनांक 11.11.2019 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 885-894 दिनांक 28.01.2020 द्वारा नियुक्त श्री विजय कुमार जैन पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार को प्रशासनिक कारणों से तुरन्त प्रभाव से हटाया जाता है।


उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


(हृदेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.8(क)(वि.स.)()डीएलबी/2022/19942-19950 दिनांक: 11-11-2022

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वा0 शासन विभाग, राज0 जयपुर।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग जयपुर।
5. सभापति/आयुक्त, नगर परिषद झालावाड़।
6. विजय कुमार जैन पैनल अधिवक्ता/विधि सलाहकार नगर परिषद झालावाड़।
7. प्रोग्रामर, IT सेल निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. सुरक्षित पत्रावली।


(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी